

राजस्थान सरकार
विधि एंव विधिक कार्य विभाग
(राजकीय वादकरण)

क्रमांक: प.07(48)राज / वाद / 19

जयपुर, दिनांक १४-१०-१९

:: आदेश ::

इस विभाग के अधीनस्थ (नीचे अंकित सूची के कॉलम संख्या-2 में वर्णित) कार्यालयों में उनके नाम के सम्मुख कॉलम संख्या-3 में वर्णित शीघ्र लिपिक एवं कॉलम सं0 4 में वर्णित च०श्रो कर्मचारी के स्वीकृत / रिक्त पदों के विरुद्ध कार्मिक विभाग के परिपत्र क्रमांक एफ.17(10)डीओपी / ए-गा / 94 जयपुर दिनांक 08.02.18 में निर्धारित दरों/ शार्तों पर नियमित नियुक्ति होने अथवा 01 वर्ष तक, जो भी पहले हो, के लिये सेवानिवृत्त कार्मिक की संविदा सेवायें लिये जाने की स्वीकृति एतदद्वारा प्रदान की जाती है:-

32	विशिष्ट लोक अभियोजक, लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम, 2012 तथा बालक अधिकार संरक्षण आयोग अधिनियम, 2005, जैसलमेर	01	01
33	विशिष्ट लोक अभियोजक, लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम, 2012 तथा बालक अधिकार संरक्षण आयोग अधिनियम, 2005, स01, झालावाड़	01	01
34	विशिष्ट लोक अभियोजक, लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम, 2012 तथा बालक अधिकार संरक्षण आयोग अधिनियम, 2005, स02, झालावाड़	01	01
35	विशिष्ट लोक अभियोजक, लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम, 2012 तथा बालक अधिकार संरक्षण आयोग अधिनियम, 2005, झुझुनू	01	01
36	विशिष्ट लोक अभियोजक, लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम, 2012 तथा बालक अधिकार संरक्षण आयोग अधिनियम, 2005, जोधपुर महानगर	01	01
37	विशिष्ट लोक अभियोजक, लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम, 2012 तथा बालक अधिकार संरक्षण आयोग अधिनियम, 2005, जोधपुर जिला	01	01
38	विशिष्ट लोक अभियोजक, लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम, 2012 तथा बालक अधिकार संरक्षण आयोग अधिनियम, 2005, करीली	01	01
39	विशिष्ट लोक अभियोजक, लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम, 2012 तथा बालक अधिकार संरक्षण आयोग अधिनियम, 2005, स01, कोटा	01	01
40	विशिष्ट लोक अभियोजक, लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम, 2012 तथा बालक अधिकार संरक्षण आयोग अधिनियम, 2005, स02, कोटा	01	01
41	विशिष्ट लोक अभियोजक, लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम, 2012 तथा बालक अधिकार संरक्षण आयोग अधिनियम, 2005, स03, कोटा	01	01
42	विशिष्ट लोक अभियोजक, लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम, 2012 तथा बालक अधिकार संरक्षण आयोग अधिनियम, 2005, स04, कोटा	01	01
43	विशिष्ट लोक अभियोजक, लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम, 2012 तथा बालक अधिकार संरक्षण आयोग अधिनियम, 2005, स05, कोटा	01	01
44	विशिष्ट लोक अभियोजक, लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम, 2012 तथा बालक अधिकार संरक्षण आयोग अधिनियम, 2005, मेडता	01	01
45	विशिष्ट लोक अभियोजक, लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम, 2012 तथा बालक अधिकार संरक्षण आयोग अधिनियम, 2005, स01, पाली	01	01
46	विशिष्ट लोक अभियोजक, लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम, 2012 तथा बालक अधिकार संरक्षण आयोग अधिनियम, 2005, स02, पाली	01	01
47	विशिष्ट लोक अभियोजक, लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम, 2012 तथा बालक अधिकार संरक्षण आयोग अधिनियम, 2005, स03, पाली	01	01
48	विशिष्ट लोक अभियोजक, लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम, 2012 तथा बालक अधिकार संरक्षण आयोग अधिनियम, 2005, प्रतापगढ़	01	01
49	विशिष्ट लोक अभियोजक, लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम, 2012 तथा बालक अधिकार संरक्षण आयोग अधिनियम, 2005, राजसमंद	01	01
50	विशिष्ट लोक अभियोजक, लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम, 2012 तथा बालक अधिकार संरक्षण आयोग अधिनियम, 2005, सवाईमाधोपुर	01	01
51	विशिष्ट लोक अभियोजक, लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम, 2012 तथा बालक अधिकार संरक्षण आयोग अधिनियम, 2005, सीकर	01	01
52	विशिष्ट लोक अभियोजक, लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम, 2012 तथा बालक अधिकार संरक्षण आयोग अधिनियम, 2005, सिरोही	01	01
53	विशिष्ट लोक अभियोजक, लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम, 2012 तथा बालक अधिकार संरक्षण आयोग अधिनियम, 2005, टोक	01	01
54	विशिष्ट लोक अभियोजक, लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम, 2012 तथा बालक अधिकार संरक्षण आयोग अधिनियम, 2005, स01, उदयपुर	—	01
55	विशिष्ट लोक अभियोजक, लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम, 2012 तथा बालक अधिकार संरक्षण आयोग अधिनियम, 2005, स02, उदयपुर	01	01
56	विशिष्ट लोक अभियोजक, लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम, 2012 तथा बालक अधिकार संरक्षण आयोग अधिनियम, 2005, जयपुर जिला	01	01

कुल 54 56

उक्त स्वीकृति वित्त (व्यय-5) विभाग की आई.डी.संख्या-331900770 दिनांक 03.10.2019 द्वारा प्रदत्त सहमति के आधार पर जारी की जाती है।

आज्ञा से,

४८

(जगमोहन शर्मा)

विशिष्ट शासन सचिव, वादकरण

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

1. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव / शासन सचिव, विधि।
2. संबंधित जिला कलक्टर..... को प्रेषित कर निर्देशित किया जाता है कि सम्बन्धित कार्यालय में सेवानिवृत कार्मिकों की उपरोक्त स्वीकृति के क्रम में संविदा सेवायें उपलब्ध करवाया जाना सुनिश्चित करावें तथा सेवानिवृत कार्मिक उपलब्ध नहीं होने की दशा में नियमित नियुक्ति होने अथवा 01 वर्ष तक, जो भी पहले हो, के लिये शीघ्र लिपिक के रिक्त पद के विरुद्ध मशीन विद मैन व च०श्र० कर्मचारी के रिक्त पद के विरुद्ध होमगार्ड के माध्यम से संविदा सेवायें लिये जाने हेतु इस विभाग को प्रस्ताव प्रेषित करावें।
3. सम्बन्धित विशिष्ट लोक अभियोजक
4. संबंधित कोषाधिकारी.....।
5. प्रोग्रामर, विधि एवं विधिक कार्य विभाग को वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु।
6. सहायक लेखाधिकारी-१, वादकरण।
7. रक्षित पत्रावली।

१५१८१९
(जगमोहन शर्मा)

विशिष्ट शासन सचिव, वादकरण